राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. 6/डीडीएमए/कोविड/2020/19/16 **दिनांक 02.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है तथा यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे सहित अनिवार्य सेवाएं और आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए विभिन्न उपाय लागू तथा क्रियान्वित करने में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

और जबकि, भारत सरकार ने पूरे भारत (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित) में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक कोविड–19 महामारी के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अधिसूचना जारी है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सर्वसंबंधित प्राधिकरणों सहित दिल्ली के सभी ग्यारह जिलाधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश जारी किए हैं।

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो दिल्ली के सभी ग्यारह जिलों में स्थापित किए गए हैं, के लिए शक्तियों और गतिविधियों की व्यवस्था करता है और साथ ही यह व्यस्था भी करता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जब कभी आवश्यक हो, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी उद्देश्यों हेतु बैठकों का आयोजन कर सके।

अतः, अब, कोविड–19 की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए, यह निदेश दिए जाते हैं कि दिल्ली के सभी ग्यारह जिलों के जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकों का नियमित आयोजन करें और उन बैठकों के कार्यवृत्तों की एक प्रति दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ddma-ceo@gmail-com पर भेजें. जिला स्तर के प्राधिकरण के सभी अधिकारिक सदस्य इन बैठकों में अवश्य भाग लें।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Scanned with CamScanner

सं. 6/डीडीएमए/कोविड/2020/19/16

दिनांक 02.04.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष (डीडीएमए)।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
4. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (राजस्व), दिल्ली/संयोजक–सह–सदस्य (डीडीएमए)
6. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. अनुभाग अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली/अध्यक्ष एसईसी (डीडीएमए)।

Scanned with CamScanner